



Neutral Citation No. - 2026:AHC:168260

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या - 41956 वर्ष 2014

मोहम्मद असीन @ यासीन

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

पंजाब नेशनल बैंक, सर्किल कार्यालय, वाराणसी एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्त : आलोक कुमार यादव, ज्योति भूषण, राम सूरत सरोज

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : अशोक शंकर भटनागर, आर.एन. सिंह, रवि प्रकाश पाण्डेय,
एस.सी., संजय सिंह

न्यायालय संख्या - 32

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. याची की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ज्योति भूषण की ओर से पैरवी करते हुए विद्वान अधिवक्ता श्री बाबूलाल तथा प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 एवं 3 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक भटनागर, जिनकी सहायता विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश प्रजापति द्वारा की गई, को सुना गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. याची दिनांक 22.05.2014 को मुख्य प्रबंधक, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा जारी उस पत्र से व्यथित है, जो श्री एस.एस. गुहा, वरिष्ठ प्रबंधक, शाखा कार्यालय, मुगलसराय को संबोधित था, जिसके द्वारा उन्हें सूचित किया गया था कि उन्हें जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा श्री एन.के. पाण्डेय, प्रबंधक, शाखा कार्यालय, पड़ाव को प्रस्तुतिकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है।
3. याची के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उपर्युक्त दिनांक 22.05.2014 के पत्र के अनुपालन में, जाँच अधिकारी को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा रिट-ए संख्या 23172 वर्ष 2014 (मोहम्मद असीन @ यासीन बनाम पंजाब नेशनल बैंक, मुख्य प्रबंधक के माध्यम से एवं 2 अन्य) में पारित दिनांक 25.04.2014 के आदेश के अनुपालन में, प्रतिदिन जाँच की कार्यवाही संचालित करते हुए बीस दिनों के भीतर अपनी जाँच आख्या प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि याची के विरुद्ध प्रारंभ की गई विभागीय जाँच विधि की दृष्टि से पोषणीय नहीं है, विशेषकर इस तथ्य के दृष्टिगत कि उन्हीं तथ्यों के आधार पर उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही भी वर्तमान याची के विरुद्ध लंबित है। अतः यह तर्क दिया गया कि आपराधिक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान विभागीय कार्यवाही को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि दिनांक 10.04.2002 के द्विपक्षीय समझौते के खंड 4 के अनुसार, वर्तमान याची के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अनुमन्य नहीं है। अंततः उन्होंने प्रस्तुत किया कि कम-से-कम एक वर्ष की अवधि तक विभागीय कार्यवाही पर रोक रहनी चाहिए, क्योंकि इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा रिट याचिका संख्या 5331 वर्ष 2026 (मनोज कुमार यादव बनाम भारत संघ एवं 2 अन्य) में दिनांक 20.04.2026 के आदेश द्वारा प्रतिपादित विधि के दृष्टिगत ऐसा किया जाना आवश्यक है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी-बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि याची की ओर से दाखिल वर्तमान रिट याचिका, वस्तुतः, इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा रिट-ए संख्या 23172 वर्ष 2014 (मोहम्मद असीन @ यासीन बनाम पंजाब नेशनल बैंक, मुख्य प्रबंधक के माध्यम से एवं 2 अन्य) में पारित पूर्ववर्ती दिनांक 25.04.2014 के आदेश के प्रभाव को निष्फल करने का प्रयास है। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रारंभिक आरोप-पत्र दिनांक 02.04.2013 (अनुलग्नक संख्या 5) याची को तामील कराया गया और तत्पश्चात जाँच की गई तथा जाँच आख्या अनुशासनिक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। जाँच कार्यवाही में कुछ विसंगतियाँ पाए जाने पर अनुशासनिक प्राधिकारी ने दिनांक 20.03.2014 को एक नया आदेश पारित करते हुए मामले में पुनः जाँच किए जाने का निर्देश दिया तथा याची को अपना उत्तर प्रस्तुत करने की अपेक्षा की। उक्त आदेश से व्यथित होकर याची ने रिट-ए संख्या 23172 वर्ष 2014 दाखिल की, जिसका दिनांक 25.04.2014 के आदेश द्वारा निस्तारण करते हुए अनुशासनिक प्राधिकारी को निर्देश दिया गया कि वह मामले में विधि के अनुसार दो माह की अवधि के भीतर निर्णय ले। तत्पश्चात, याची ने पुनः इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। वर्तमान रिट याचिका पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने दिनांक 13.08.2014 के अंतरिम आदेश के माध्यम से यह अनुमति प्रदान की कि अनुशासनिक कार्यवाही जारी रह सकती है, इस शर्त के अधीन कि अगली सूचीबद्धता की तिथि तक अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जाएगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दिनांक 13.08.2014 के अंतरिम आदेश के पारित होने के पश्चात अनुशासनिक कार्यवाही में पर्याप्त प्रगति हो चुकी है और दोनों पक्षों का साक्ष्य पहले ही पूर्ण हो चुका है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि केवल इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के कारण ही अंतिम निर्णय नहीं लिया जा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



सका। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि यदि याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क पर भी इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा रिट-ए संख्या 3551 वर्ष 2026 में दिनांक 20.04.2026 को पारित निर्णय के आलोक में विचार किया जाए, तब भी विभागीय कार्यवाही को लंबित रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है, विशेषकर तब जबकि उक्त कार्यवाही पहले ही बारह वर्ष से अधिक समय से लंबित है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार करने तथा पत्रावली के परिशीलन के उपरांत, यह स्पष्ट है कि दिनांक 02.04.2013 का आरोप-पत्र याची को तामील कराया गया था। जाँच अधिकारी ने समुचित जाँच के उपरांत दिनांक 04.03.2014 को अपनी जाँच आख्या प्रस्तुत की। उक्त जाँच आख्या प्राप्त होने पर, अनुशासनिक प्राधिकारी ने दिनांक 20.03.2014 को एक नया आदेश (अनुलग्नक संख्या 6) पारित करते हुए मामले में पुनः जाँच किए जाने का निर्देश दिया तथा याची को सात दिनों के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। दिनांक 20.03.2014 के पुनः जाँच किए जाने संबंधी नोटिस/निर्देश से व्यथित होकर याची ने रिट-ए संख्या 23172 वर्ष 2014 (मोहम्मद असीन @ यासीन बनाम पंजाब नेशनल बैंक, मुख्य प्रबंधक के माध्यम से एवं 2 अन्य) दाखिल की। दिनांक 20.03.2014 के उक्त नोटिस/निर्देश तथा उसके संबंध में याची द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विचार करने के पश्चात, इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने दिनांक 25.04.2014 के आदेश द्वारा उक्त रिट याचिका का निस्तारण करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 (उक्त रिट याचिका में अनुशासनिक प्राधिकारी) को निर्देशित किया कि वह याची के मामले में, याची द्वारा उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर, विधि के अनुसार निर्णय लें। सुविधार्थ, दिनांक 25.04.2014 के आदेश को नीचे पुनरुत्पादित किया जा रहा है:

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



“याची की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राम सूरत सरोज तथा प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री संजय सिंह की ओर से पैरवी करते हुए विद्वान अधिवक्ता श्री नीरज कुमार पाण्डेय को सुना गया।”

याची की शिकायत यह है कि वह प्रत्यर्थी संख्या 3 के अधीन अंशकालिक सफाई कर्मी के रूप में कार्यरत था और उसे शाखा प्रबंधक द्वारा दिनांक 11.06.2011 के आदेश के माध्यम से निलंबित कर दिया गया था। तत्पश्चात, एक जाँच की गई। जाँच अधिकारी द्वारा निकाले गए निष्कर्षों के आधार पर, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने याची को दिनांक 20.03.2014 को एक नोटिस जारी करते हुए उससे अपना उत्तर प्रस्तुत करने की अपेक्षा की।

यह अभिकथित किया गया है कि याची ने दिनांक 26.03.2014 को अपना उत्तर प्रस्तुत कर दिया था, किंतु प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा याची के मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याची के उत्तर पर विचार किया जाएगा तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा विधि के अनुसार दो माह की अवधि के भीतर उचित निर्णय लिया जाएगा।

उपर्युक्त के दृष्टिगत, यह रिट याचिका प्रत्यर्थी संख्या 1 को इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि वह याची द्वारा इस आदेश की प्रमाणित प्रति उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर, याची के मामले में विधि के अनुसार निर्णय लें।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



उपर्युक्त निर्देश के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।”

6. दिनांक 25.04.2014 के आदेश के अनुपालन में, सक्षम प्राधिकारी ने दिनांक 22.05.2014 को विवादित पत्र जारी किया, जो श्री एस.एस. गुहा, वरिष्ठ प्रबंधक को संबोधित था, जिसमें उन्हें जाँच अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने की सूचना दी गई तथा उन्हें प्रतिदिन जाँच की कार्यवाही संचालित करते हुए बीस दिनों के भीतर जाँच आख्या प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। उक्त पत्र में विशेष रूप से यह अंकित किया गया है कि यह जाँच इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 23172 वर्ष 2014 में पारित दिनांक 25.04.2014 के आदेश के अनुपालन में संस्थित की जा रही थी। सुविधार्थ, दिनांक 22.05.2014 के विवादित पत्र को नीचे पुनरुत्पादित किया जा रहा है:

“पंजाब नेशनल बैंक, सर्किल कार्यालय, वाराणसी”

22.05.2024

श्री एस.एस. गुहा,

वरिष्ठ प्रबंधक,

शाखा कार्यालय : मुगलसराय

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



विषय : दिनांक 02.04.2013 के आरोप-पत्र के संबंध में, जो श्री मोहम्मद असीश (असीन/यासीन) (82773), पी.टी.एस. (यू/एस), शाखा कार्यालय : खजूरी को तामील कराया गया।

उपर्युक्त के संबंध में, उक्त आरोप-पत्र में निहित आरोपों की सत्यता का निर्धारण करने के लिए दिनांक 22.05.2024 को पुनः विभागीय जाँच संस्थित की गई है तथा उक्त जाँच के लिए आपको जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्री एन.के. पाण्डेय, प्रबंधक, शाखा कार्यालय : पड़ाव को उक्त जाँच के लिए प्रस्तुतिकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है।

दिनांक 25.04.2014 को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 23172 वर्ष 2014, मोहम्मद असीन @ यासीन बनाम पंजाब नेशनल बैंक, में पारित आदेश के दृष्टिगत, जिसमें मामले में दो माह की अवधि के भीतर निर्णय लिए जाने का निर्देश दिया गया है, आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रतिदिन जाँच की कार्यवाही संचालित करते हुए बीस दिनों के भीतर अपनी जाँच आख्या प्रस्तुत करें। कृपया सुनवाई की तिथियों, समय एवं स्थान की सूचना सी.एस.ई. तथा पी.ओ. को सीधे प्रदान करें।

उक्त आरोप-पत्र तथा सी.एस.ई. द्वारा प्रस्तुत उत्तर की एक-एक प्रति आपके सुविधार्थ संलग्न की जा रही है।

मुख्य प्रबंधक, अनुशासनिक प्राधिकारी”

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. दिनांक 22.05.2014 के विवादित पत्र का परिशीलन करने पर, जो इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित दिनांक 25.04.2014 के आदेश के अनुसरण में तथा उसके अनुपालन में जारी किया गया था, याची द्वारा उसके विरुद्ध उठाई गई आपत्ति को स्वीकार करना इस न्यायालय के लिए कठिन है। दिनांक 25.04.2014 का आदेश दिनांक 20.03.2014 के नोटिस तथा उसके संबंध में याची द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विचार करने के पश्चात पारित किया गया था, और समन्वय पीठ ने विशेष रूप से अनुशासनिक प्राधिकारी को निर्देशित किया था कि वह निर्धारित अवधि के भीतर मामले में विधि के अनुसार निर्णय ले। दिनांक 22.05.2014 का विवादित पत्र उक्त निर्देश के अनुपालन में आगे की कार्यवाही के रूप में जारी किया गया प्रतीत होता है और इसलिए, याची को यह अनुमति नहीं दी जा सकती कि वह उक्त न्यायिक निर्देश के अनुसरण में की गई कार्रवाई को ही चुनौती दे, जब तक कि वह ऐसी कोई बाधा की परिस्थिति अथवा विधिक बाधा प्रदर्शित न करे, जो न्यायालय के हस्तक्षेप को उचित ठहराती हो।
8. जहाँ तक दिनांक 10.04.2002 के द्विपक्षीय समझौते के खंड 4 का संबंध है, उसके प्रभाव एवं प्रयोज्यता पर उसकी सटीक भाषा तथा वर्तमान मामले के तथ्यों के आलोक में विचार किया जाना होगा। यह निर्विवाद है कि दिनांक 19.04.2011 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जो मुकदमा अपराध संख्या 125 वर्ष 2011, 126 वर्ष 2011 तथा 127 वर्ष 2011 थी। दिनांक 19.06.2011 को आरोप-पत्र प्रस्तुत किए गए और उसी दिन संज्ञान भी लिया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य बनाम पी. जडेगा, (2023) 10 एस.सी.सी. 675 के मामले में दिनांक 10.04.2002 के समझौता ज्ञापन के खंड 4 के दायरे पर निम्नानुसार चर्चा की है, जैसा कि पैराग्राफ संख्या 15, 17, 23, 30, 31, 33 एवं 40 में उल्लिखित है:

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



15.वर्तमान विवाद के विषय-वस्तु के गुण-दोष पर विचार करने से पूर्व, दिनांक 10 अप्रैल 2002 के समझौता ज्ञापन (MoS) के खंड 4 को पुनरुत्पादित करना उचित होगा, जो इस विवाद का मुख्य विवाद विषय है, क्योंकि दोषी कर्मचारी का तर्क है कि जब उन्हीं लेन-देन से उत्पन्न आपराधिक मामले लंबित हों, तब अनुशासनिक जाँच के साथ कार्यवाही आगे बढ़ाने पर स्पष्ट रोक है, जबकि अपीलकर्ता-बैंक इसके विपरीत यह प्रस्तुत करता है कि ऐसी कोई पाबंदी नहीं है।

17.खंड 4 की व्याख्या के संबंध में, हम पाते हैं कि इस न्यायालय ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य बनाम नीलम नाग, (2016) 9 एस.सी.सी. 491 के मामले में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

21.खंड 4 की सरल एवं स्पष्ट भाषा में, हमारी राय में, केवल इस आधार पर कि दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित है, अनुशासनिक कार्यवाही को संस्थित करने तथा उसे जारी रखने पर, और वह भी अनिश्चितकाल के लिए, रोक लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके विपरीत, यह एक सक्षमकारी प्रावधान है, जो अनुशासनिक कार्यवाही को संस्थित करने अथवा जारी रखने की अनुमति प्रदान करता है, यदि अपराध किए जाने की तिथि से एक वर्ष के भीतर अभियोजन द्वारा कर्मचारी को विचारण के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है अथवा किसी सामग्री के अभाव में अभियोजन उसके विरुद्ध कार्यवाही आगे बढ़ाने में विफल रहता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



22. जैसा कि खंड 4 के अंतिम वाक्य से स्पष्ट होता है, जो ऐसे मामले पर लागू होता है जहाँ आपराधिक मामला वास्तव में विचारण के लिए आगे बढ़ चुका है, जैसा कि वर्तमान मामले में हुआ है। वहाँ प्रयुक्त पद “विचारण की समाप्ति” का अर्थ युक्तिसंगत समय-सीमा के भीतर विचारण की समाप्ति के रूप में लगाया जाना चाहिए। यह खंड ऐसे दोषी कर्मचारी की सहायता के लिए लागू नहीं हो सकता, जिसे किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त के रूप में नामित किया गया है और जो, विशेष रूप से, विचारण को लंबित रखने में स्वयं भी कारण रहा है।

23. नीलम नाग (उपर्युक्त) के मामले में प्रतिपादित विधि को दृष्टिगत रखते हुए, खंड 4 के प्रभावी संचालन के लिए निम्नलिखित आवश्यक शर्तें निकाली जा सकती हैं—

- a. दोषी कर्मचारी के विरुद्ध अभियोजन चलाए जाने के प्रयास किए जाने की तिथि से कम-से-कम एक वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी होनी चाहिए;
- b. यदि उक्त अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात भी कोई अभियोजन प्रारंभ नहीं किया जाता है, तो विभाग अपनी अनुशासनिक कार्यवाही की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही आगे बढ़ा सकता है;
- c. यदि विभागीय कार्यवाही प्रारंभ होने के पश्चात किसी बाद के समय में अभियोजन प्रारंभ होता है, तो विभागीय कार्यवाही पर रोक लगाई जाएगी, किंतु अनिश्चितकाल के लिए नहीं। ऐसी कार्यवाही पर केवल युक्तिसंगत अवधि के लिए

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



रोक लगाई जानी है, जिसकी अवधि प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित की जानी होगी।

30. यद्यपि यह बात पुनरावृत्तिपूर्ण प्रतीत हो सकती है, तथापि हम नीलम नाग (उपर्युक्त) के मामले में प्रतिपादित विधि के सिद्धांत को पुनः दोहराते हैं कि विचारण की समाप्ति का अर्थ “युक्तिसंगत समय-सीमा के भीतर” विचारण की समाप्ति के रूप में लगाया जाना चाहिए और यह खंड कर्मचारी की सहायता के लिए “विशेष रूप से” “विचारण को लंबित रखने” की स्थिति में लागू नहीं हो सकता। वर्तमान मामले में, वर्ष 1996 में पंजीकृत अपराध से संबंधित विचारण की समाप्ति अभी निकट भी नहीं है।

31. विधि के सिद्धांत के रूप में, हम पहले ही यह अभिनिर्धारित कर चुके हैं कि आपराधिक विचारण के लंबित रहने के दौरान विभागीय कार्यवाही पर स्वतः रोक लगाया जाना आवश्यक नहीं है, जब तक कि, निस्संदेह, कोई जटिल विधिक प्रश्न अंतर्वलित न हो। साथ ही, किसी आपराधिक मामले में दोषमुक्ति स्वतः ही दोषी कर्मचारी के पक्ष में विभागीय कार्यवाही की समाप्ति अथवा परिणति के समान नहीं होगी।

33. यह देखा जाता है कि अधिकारी ने न तो यह अभिवचन किया और न ही यह संकेत दिया कि आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ किए जाने अथवा दोनों कार्यवाहियों को समानांतर रूप से जारी रखे जाने के परिणामस्वरूप उसे किसी प्रकार की प्रतिकूलता हुई है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



40. दिनांक 10 अप्रैल 2002 के समझौता ज्ञापन (MoS) का खंड 4, आपराधिक कार्यवाही के लंबित रहने के परिणामस्वरूप विभागीय कार्यवाही को पूर्णतः स्थगित रखने की परिकल्पना नहीं करता है। विधि की स्थिति यह है कि आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाया जाना वांछनीय है, किंतु ऐसी रोक केवल युक्तिसंगत अवधि के लिए ही प्रभावी की जानी है।

जहाँ तक समान तथ्यों के समूह से उत्पन्न विभागीय कार्यवाही तथा आपराधिक कार्यवाही के लंबित रहने का संबंध है, इस न्यायालय की दृष्टि में इस स्तर पर उक्त मुद्दे की विस्तार से जाँच करना आवश्यक नहीं है, विशेष रूप से दिनांक 02.04.2013 के आरोप-पत्र तथा इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 25.04.2014 के आदेश के पश्चात व्यतीत हो चुके असाधारण रूप से दीर्घ समय तथा उपर्युक्त उल्लिखित माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (उपर्युक्त) के मामले में दिनांक 03.10.2023 को पारित निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए। यह निर्विवाद है कि आपराधिक कार्यवाही अत्यधिक दीर्घ अवधि से लंबित है और अभी तक अंतिम न्यायनिर्णयन में परिणत नहीं हुई है। विवादित प्रत्यर्थी-बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विभागीय जाँच काफी हद तक पूर्ण हो चुकी है और दोनों पक्ष पहले ही अपना-अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर चुके हैं। उनके अनुसार, अंतिम निर्णय केवल इस कारण नहीं लिया जा सका कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 13.08.2014 को पारित अंतरिम आदेश के माध्यम से अनुशासनिक प्राधिकारी को अगली सूचीबद्धता की तिथि तक कोई अंतिम निर्णय

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



लेने से रोक दिया गया था। यह विवादित नहीं है कि उक्त अंतरिम आदेश समय-समय पर प्रभावी बना रहा।

9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों, कार्यवाही की प्रकृति तथा उस असाधारण रूप से दीर्घ अवधि को दृष्टिगत रखते हुए, जिसके दौरान यह मामला लंबित रहा है, यह न्यायालय सुविचारित मत रखता है कि वर्तमान रिट याचिका को और अधिक लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यह मानते हुए भी कि इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा रिट-ए संख्या 3551 वर्ष 2026 में दिनांक 20.04.2026 को पारित आदेश से उभरने वाला वह सिद्धांत, जिस पर याची के विद्वान अधिवक्ता ने भरोसा किया है, वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू होता है, तथापि समय के व्यतीत होने के कारण उसमें परिकल्पित अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। विभागीय कार्यवाही वर्ष 2013 से लंबित है और, जैसा कि प्रत्यर्थी-बैंक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है, दोनों पक्षों का साक्ष्य पहले ही पूर्ण हो चुका है। ऐसी परिस्थितियों में, केवल आपराधिक कार्यवाही के लंबित रहने के आधार पर वर्तमान मामले को अनिश्चितकाल तक लंबित रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता, विशेष रूप से तब, जबकि विभागीय जाँच में पहले ही पर्याप्त प्रगति हो चुकी है और पक्षकारों का साक्ष्य पूर्ण हो चुका है।

10. उपर्युक्त विवेचना के दृष्टिगत, इस न्यायालय को दिनांक 22.05.2014 के विवादित पत्र में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता है। अतः रिट याचिका गुण-दोष से रहित है और तदनुसार एतद्वारा **खारिज** की जाती है। तथापि, अनुशासनिक प्राधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह विभागीय कार्यवाही को पूर्ण करते हुए, इस न्यायालय द्वारा रिट-ए

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



संख्या 23172 वर्ष 2014 में पारित दिनांक 25.04.2014 के आदेश के अनुपालन में निर्णय लें।

11 अगस्त, 2026

वी.के.जी.

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”